संजय कुमार अंधवान
प्रमुख अभियंता

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
जल भवन, बाणगंगा, भोपाल-462003 (म.प्र.)
(कार्या.) 0755-2779411, 2779412
(मो.) 9827069153
Email : encph@nic.in

अर्द्ध शा. पत्र क्र. 2611

भोपाल, दिनांक 23/12/23

प्रिय सोलंकी,

संदर्भ

1 कार्यपालन यंत्री बड़वानी का पत्र क्र. 5287 दि.17.02.2023

2 माननीय श्रम न्यायालय खंडवा के प्रकरण क्रमांक 18/आईडीएक्ट/2016 एवं 04,05,06,07 आईडीएएक्ट/2022

कृपया संदर्भित प्रकरणों का अवलोकन करने का कष्ट करें। इन सभी प्रकरणों में माननीय श्रम न्यायालय खंडवा द्वारा ट्रायसेम मैकेनिकों को स्थायी वर्गीकृत करने एवं उन्हें नियमित वेतनमान (बिना वेतन वृद्धि के) देने के आदेश दिये गये है। प्रकरण क्र.18/आय.डी.एक्ट/2016 (कान्हा पिता कालूराम भालसे एवं 12 अन्य विरूद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य) में माननीय उच्च न्यायलय खंडपीठ इंदौर के समक्ष रिट पिटीशन दायर करने की अनुमति दी जा चुकी है, जबकि प्रकरण क्रमांक 04,05,06,07/आय.डी.एक्ट/2022 में रिट याचिका की अनुमति हेतु प्रकरण शासन की ओर प्रेषित किये गये है।

उक्त सभी प्रकरणों में विभाग की ओर से प्रभावी प्रतिरक्षण करने के लिये इस कार्यालय की विधि शाखा द्वारा सभी संगत न्यायदृष्टांतों सहित एक नोट तैयार किया गया है, जो आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड बड़वानी एवं खरगौन के साथ ही अन्य खण्डों से उत्पन्न होने वाले समान प्रकृति के प्रकरणों में उक्त नोट में दिये गये तथ्यों का समावेश अनिवार्य रूप से रिट याचिका रिट अपील में करवाने का कष्ट करें।

यदि आपके परिक्षेत्र के अंतर्गत अन्य खण्डों में भी इस प्रकृति के प्रकरण माननीय श्रम न्यायालयों के समक्ष लंबित हो, तो उनमें माननीय श्रम न्यायालय के समक्ष भी शासकीय अधिवक्ता के माध्यम से इन तथ्यों और न्याय दृष्टांतों को आवश्यक रूप से प्रस्तुत करवाना सुनिश्चित करें ।

"शुभकामनाओं सहित।"

संलग्न :नोट (पेज क्र.01से 75 तक)

भवदीय,

(एस.के अंधवान)

प्रति,

श्री विजय सिंह सोलंकी
मुख्य अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
इंदौर, परिक्षेत्र इंदौर।

पृ0क्रमांक 2611 /विधि/प्र.अ./2023 भोपाल, दिनांक 23 फरवरी 2023
प्रतिलिपि :

मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र भोपाल/इंदौर/ग्वालियर/जबलपुर/एवं (वि./यां.) परिक्षेत्र भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आपके परिक्षेत्र के अधीनस्थ भी समान प्रकृति के प्रकरणों में इसी अनुसार कार्यवाही तत्काल कराने का कष्ट करें।

संलग्न : नोट (पेज क्र.01से 75 तक)

प्रमुख अभियंता

ट्रायसेम मैकेनिको को विभाग में सूक्ष्म कार्यों जैसे हैंडपंप के चेन की आयलिंग ग्रीसिंग एवं अन्य देखभाल हेतु अंशकालिक तौर पर प्रतिदिन अधिकतम 1/2 से 1 घंटे के कार्य हेतु, हैंडपंप रक्षक के रूप में मानदेय के आधार पर नियोजित किया गया था तथा उन्हें अपने इस काम के साथ अन्य कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता है । इन मैकेनिकों को विभाग द्वारा दिये जा रहे मानदेय से शिकायत है तथा विस्तृत लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से इनके द्वारा माननीय श्रम न्यायालय के समक्ष प्रकरण दायर किये गये थे । प्रकरणों में इनके द्वारा दैनिक वेतन भोगी श्रमिक के समान सथायी वर्गीकृत करने एवं न्यूनतम नियमित वेतनमान का लाभ प्रदान करने की मांग की गई है, जिसे श्रम न्यायालयों द्वारा त्रुटिपूर्ण रूप से मान्य किया गया है ।

यघपि विभाग ट्रायसेम मैकेनिकों को पूर्णकालिक श्रमिक नहीं मानता है तथापि माननीय श्रम न्यायालय खंडवा द्वारा विभिन्न प्रकरणों में उन्हें स्थाई श्रमिक के रूप मं वर्गीकृत करते हुये उन्हें न्यूनतम वेतन के लाभ का पात्र निर्धारित किया गया है । यदि ट्रायसेम मैकेनिकों को स्थाई श्रमिक मान भी लिया जावे तो भी वे रिक्त पद के विरूद्ध कार्यरत नहीं होने के कारण स्थायी वर्गीकृत किये जाने तथा उससे संबंधित लाभ को प्राप्त करने के पात्र नहीं है क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा किसी श्रमिक के रिक्त पद के विरूद्ध कार्य नहीं करने पर मान श्रम न्यायालय द्वारा जारी किये गये स्थायी वर्गीकृत करने संबंधी आदेश को निम्न प्रकरणों में निरस्त किया गया है :–

1. माननीय उच्चतम न्यायालय की सिविल अपील क. 6678/2004, म.प्र.शासन एवं अन्य विरूद्ध ओमकार प्रसाद पटेल निर्णय दिनांक 7.12.05
2. माननीय उच्चतम न्यायालय की सिविल अपील क. 5185/2006, म.प्र.शासन एवं अन्य विरूद्ध ललित कुमार वर्मा निर्णय दिनांक 7.12.05
3. माननीय उच्चतम न्यायालय की सिविल अपील क. 7006–7008/2009, रमेश चन्द्र श्रीवास्तव विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य निर्णय दिनांक 17.09.2015
4. माननीय उच्चतम न्यायालय की सिविल अपील क. 1265/2006, म.प्र. हाउसिंग बोर्ड विरूद्ध मनोज श्रीवास्तव निर्णय दिनांक 24.02.2015
5. माननीय उच्चतम न्यायालय की सिविल अपील क. 337/2002, महेन्द्र एल. जैन एवं अन्य विरूद्ध इंदौर डेवलपमेंट अथारिटी निर्णय दि 22.11.2004
6. माननीय उच्च न्यायालय ग्वालियर की रिट पिटीशन क. 1992/2006, म.प्र. शासन एवं अन्य विरूद्ध साहब सिंह, निर्णय दिनांक 05.05.2011
7. माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर की रिट पिटीशन क्रं.. 4148/2000, 4149/2000 4151/2000 एवं 4152/2000 निर्णय दिनांक 02.02.2017

विभाग में कुछ जिलों में ट्रायसेम मैकेनिकों को स्थायी वर्गीकृत कर्मचारी के समान लाभ दे दिया गया है । इस आधार पर कुछ अन्य ट्रायसेम मैकेनिक इस लाभ का दावा पेश कर सकते है । ऐसे प्रकरणों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रकरण "**इंडियन कांउसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिर्स एवं अन्य**" विरूद्ध टी.के.सूर्यनारायणन एवं अन्य **[(1997) एस.सी.सी.766]** का उल्लेख किया जाना उचित होगा जिसमें यह कहा गया है कि यदि कुछ लोगों को गलत लाभ दिया